cation : Yes.		···			
		ment	Kalawati Saran Children's		ublic Service
			Hospital with 10 years' regu-	1. Additional Director	Commission
			lar service in the grade.	General/Deputy Direc-	not necessary
				tor General (Medical)	
				Chairman	
				2. Director, Administra	
				tion and Vigilence	;
				Member	
				3. Principal, Lady Har	
				dinge Medical College	2
				Momber	
				4. Deputy Director Ad-	
				ministration (O M)
				—Momber	
				Note: The Proceedings	3
				of the Departmenta	
				Promotion Committee	
				relating to the confir	
				mation shall be sent to	
				the Commission fo	
				approval. If however	
				these are not approved by the Commis	
				sion a fresh meeting	
				of the Departmenta	
				Promotion Committe	
				to be presided over by	
				the Chairman or	
				Member of the Union	
				Public Service Com	
				mission shall be held	

[No. A-12018/2/81- ME (UG) Desk] S.P. BHASIN, Under Socy.

नई विल्ली, 11 सितम्बर, 1985

सा. का. नि. 913 ---राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा राष्ट्रीय संवारी रोग संस्था राष्ट्रीय फाइजेरिया नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (श्रेणी-I तथा श्रेणी-II) गैर-विकित्सीय राजपितत पद भर्ती नियमावली 1976 को वहां जहां तक इसका संबंध उपनिदेशक (कीट विज्ञान) के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जो ऐसे अधिकमण से पहले की गई है अथवा किए जाने से लोग किया गया है, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय नई विल्ली में उप निवेशक (कीट विज्ञान) तथा केन्द्रीय समन्वय अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखत नियम बनाते हैं, अर्थात:--

	भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थीत्:	
77.	<u> </u>	· n · · · n
-		
<u> </u>	·	
	\\'_\'_	

6. शिथिल करने की शक्ति: ग्रहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्थ करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट भीर अन्य न्यायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुभार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भीर अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है:

			अनुसूर	वी		
विकानाम्	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पर्व अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों केलिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए बर्षों का फायवा केन्द्रीय सिबिल सेवा (पेंगत) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनु- केय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6(軒)
उप निदेशक (कीट विज्ञान)-1 केन्द्रीय भमन्त्रयअधिकारी-1 सीधे मर्ती किए जाने वाले ब अर्डनाएं	* 2 (1985) *कार्यभार के आधार पर परिवर किया जा सकता है	है। क्षेत्रक धीर अस्य स	1500-60-1800 100-2000 द्वपये 		45 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के जिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक सारीख में भारत में रहते वाले अप्रार्थियों से (उनसे भिन्न जो मंडमान भीर निको बार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रह हैं।) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई मंति तारीख होगी।	- रुते - म
		f	क्तमों की दशा में ला			,
	7 			8	9	
अनिवार्थः			ाहीं		(i) सीधी भर्ती के व्यक्ति वर्ष।	क्तयों के लिए ए
है। टिप्पण: 2:अनुभन संबंधी : आयोग के वियेक सूचिन जनजातिय शिथिल की जा प्रक्रम पर संघ ल उनके लिए आन	न क्षेत्र में 12 वर्षं का अनुभव। सुर्थाहत अभ्याधियों के विवेकानुसार शिर्म अहंता (अहंताएं) न तनुसार अनुसूचित जों के अभ्याधियों की मकती हैं (हैं) जब तिक सेवा आयोग की रक्षित रिक्तियों की रखने वाले उन समृ	का अध्ययन श्रौर/ की दशा में संघ येल की जा सकती संघ लोक सेवा तियों श्रौर अनु- दशा में तब चयन के किसी यह राय है कि भरने के लिए दायों के अभ्यर्थी			(ii) प्रोप्तत अधिकारी	∾ लिए दो कयी